उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय
हॉल नं0–एस–1, सेक्टर 16ए, वसुन्धरा काम्पलैक्स,
वसुन्धरा गाजियाबाद

पत्र सं0 – 11541 / मण्डोला विहार गाजि0 / दिनांक 16.7.16

प्रदेशन पत्र

पंजीकृत डाक द्वारा

सेवा में,

श्री / श्रीमती / सुश्री : DILEEP KUMAR DUBEY

पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री : PRITHBI NATH DUBEY (228)

निवासी 34 RAJEEV COLONY RAILWAY ROAD SAHIBABAD

GHAZIABAD UP,201010

महोदय / महोदया,

आप मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद में दुर्बल आय वर्ग भवन हेतु पंजीकरण चालान संख्या–**2819** के विरुद्ध पंजीकृत हैं। दिनांक 30.3.2016 को सम्पन्न लाटरी ड्रा में आपको सेक्टर 17 में निर्मित (04 मंजिले) फ्लैट संख्या– **D-1/15** (ग्राउण्ड तल) का आवंटित है। स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार सम्पत्ति के कुल मूल्य, जमा धनराशि एवं सम्पत्ति के विरुद्ध देय धनराशियों का विवरण निम्नवत् है।

क	सम्पत्ति का कुल मूल्य			ख	जमा पंजीकरण धनराशि	रु0	20,000/-
	1 फ्लैट का विक्रय मूल्य	रु0	408812.00		योग	रु0	20,000/-
	2 लीज रेन्ट (भूमि क्षेत्रफल 28.41 वर्गमी0)	रु0	36180.00	ङ	विविध शुल्क का विवरण		
	3 कुल मूल्य	रु0	444992.00		1 विलेख निष्पादन व्यय	रु0	300.00
ग	नकद पर भुगतान योग्य धनराशि (क–ख) दिनांक 31.10.2016 तक देय	रु0	424992/-		2 सीवर संयोजन शुल्क	रु0	3200.00
घ	किस्त क्रय पर देय धनराशि–				3 वाटर कनेक्शन चार्ज	रु0	3500.00
	1 अपेक्षित पंजीकरण धनराशि	रु0	–		4 जलमूल्य अग्रिम 1 वर्ष	रु0	600.00
	2 प्रथम किस्त के साथ एकमुश्त देय धनराशि (कुल मूल्य का 10 प्रतिशत)	रु0	44500.00		4 कैम्पस बाउण्ड्रीवाल व्यय	रु0	4800.00
	3 शेष धनराशि निवर्तन रु0 100 के पूर्णांक में	रु0	92.00		5 साईट प्लान	रु0	100.00
	4 अवशेष मूल्य रु0 380400.00 पर 9.5 प्रतिशत ब्याज सहित बनायी गयी 180 मासिक किश्तों में से प्रथम किश्त दिनांक 1.9.2016 से देय है।	रु0	3972.00		देय धनराशि (ङ) दिनांक 31.8.2016 तक देय	रु0	12500.00
	5 देय धनराशि (घ) दिनांक 31.8.2016 तक देय	रु0	48564/-				

कृपया क्रमांक घ एवं ङ पर अंकित धनराशि का भुगतान **ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स मेवाड़ इन्स्टीट्यूट सेक्टर–4सी, वसुन्धरा गाजियाबाद के परिषद संग्रह खाता संख्या 52331171000074 अथवा ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, ट्रोनिका सिटी, मण्डोला विहार गाजियाबाद के परिषद खाता संख्या–118/1131002609** में "उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद" गाजियाबाद के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देय तिथि दिनांक 31.8.2016 तक बैंक कार्य दिवसो में जमा करना होगा तथा जमा धनराशि की अग्रिम प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी। **समस्त भुगतान आवंटी के खाते में ही प्राप्त होना मान्य है।** किसी भी दशा में निर्धारित देय तिथि के बाद धनराशि का भुगतान करने पर 11.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से पूर्ण माह का दण्ड ब्याज देय होगा। आगामी किश्तों का भुगतान प्रत्येक माह की प्रथम दिनांक को परिषद खाते में देय होगा। आवंटी द्वारा परिषद नियमानुसार धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गम होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवंटन तथा प्रदेशन निरस्त कराने की प्रार्थना करने पर पंजीकरण धनराशि रु0 20000.00 का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए आवंटन / पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। 03 माह के उपरान्त आवंटी के अनुरोध पर अथवा अदेयता की स्थिति में निरस्तीकरण होने पर पंजीकरण धनराशि रु0–20000.00 का 50 प्रतिशत कटौती करते हुए पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटित सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी। नकद क्रय पद्धति पर आवंटित सम्पत्ति की कुल मूल्य के विरुद्ध सम्पूर्ण देय धनराशि पर इस पत्र की निर्गमन तिथि के एक माह (30 दिन) के अन्दर भुगतान करने पर कुल मूल्य पर 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। डाक विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।

यह आवंटन उ0प्र0 शासन द्वारा दुर्बल आय वर्ग पंजीकरण आवेदन के समय हेतु निर्धारित आय सीमा रु0–100000.00 तक के आवेदक के लिए किया गया है। भविष्य में आय प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्र / आरक्षण सम्बन्धी कोई अन्य प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में अन्यथा सूचना पाये जाने पर समस्त जमा धनराशि जब्त करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है, इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। भवनों का आवंटन लीज होल्ड के आधार पर किया गया है, जिसके विक्रय / हस्तानान्तरण पर देय लागत जमा करने की तिथि से 5 वर्षों तक प्रतिबन्ध रहेगा। उक्त अवधि के बाद नियमानुसार फ्री होल्ड लेकर सम्पत्ति को फ्री होल्ड किया जायेगा। भवन हेरिटेबल होगें एक से अधिक भवन का अमलगमेशन अथवा उन्हें जोड़कर एक इकाई / भवन बनाना प्रतिबन्धित रहेगा एवं फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम होगा।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

-: कब्जा हेतु आवश्यक नियम व शर्ते :-

1 मा0 न्यायालय के आदेशो से भूमि प्रतिकर में वृद्धि अथवा अन्य किसी कारणो से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा एवं नियमानुसार सर्विस टैक्स, व्यापार कर आदि अतिरिक्त देय होगा।

2 उक्त भवनो में भूतल पर उपलब्ध भूमि एवं छत की भूमि कॉमन सर्विसेज के अर्न्तगत है, इस भूमि पर कब्जे का अधिकार किसी भी आवंटी को नहीं है।

3 यदि आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में वॉछित धनराशि का भुगतान एवं औपचारिकतायें पूर्ण कर फ्लैट का कब्जा प्राप्त नहीं किया जाता है तो उन्हे 30 दिन का नोटिस भेजा जायेगा, फिर भी वह कब्जा प्राप्त नही करते है तो परिषद नियमानुसार पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती करते हुए फ्लैट का आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए आवंटी स्वयं उत्तरदायी होगा।

4 अन्य नियम व शर्ते पंजीकरण पुस्तिका के अनुसार लागू रहेगी।

आवंटी द्वारा दिनांक 30.9.2016 तक जमा किये जाने वाले प्रपत्रो की सूची:-

1 प्रदिष्ट सम्पत्ति का निबन्धन हेतु रू0–500.00 एवं रू0 100.00 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विक्रय विलेख टंकित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उक्त सुविधा आवंटन के 01 वर्ष तक अनुमन्य है।

2 राजपत्रित अधिकारी से निम्न प्रारूप पर फोटो–हस्ताक्षर एवं पता प्रमाणित कराकर दो प्रतियों में तथा तीन पासपोर्ट साईज फोटो स्व प्रमाणित प्रस्तुत करें।

3 पंजीकरण हेतु जमा धनराशि के चालान की प्रति मूल रूप में प्रस्तुत करें।

4 रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर कब्जा हेतु शपथ पत्र निम्न प्रारूप पर नोटरी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें।

5 आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि की समस्त रसीदो को रजिस्ट्री से पूर्व जमा करना होगा, तदनुसार आवंटन पत्र में अंकित जमा धनराशि का समायोजन किया जायेगा, जो मान्य होगा।

6 पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, फोटो पहचान पत्र की प्रति स्वप्रमाणित प्रस्तुत करें।

7 रू0–100.00 का स्टाम्प पेपर जल मूल्य बाण्ड हेतु प्रस्तुत करें।

8 दिनांक 30.9.2016 तक देय धनराशियॉं (जमा की रसीदे) एवं उक्त प्रपत्र / औपचारिकतायें को पूर्ण कर विलेख निष्पादन कराने का कष्ट करें अन्यथा दिनांक 1.10.2016 से रू0–5.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

कब्जा पत्र हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले रू0–10.00 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र का प्रारूप।

शपथ पत्र

मैं (नाम) .... पुत्र /पत्नी / पुत्री श्री .... उम्र ....निवासी .... निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता हूँ:-

1 मेरे/मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चो के नाम कोई भूखण्ड/भवन पूर्णतया अंशतः गाजियाबाद नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी और अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। मै उत्तर प्रदेश का/की निवासी हूँ।

2 मेरे / मेरी पत्नी / मेरे पति अथवा अवयस्क बच्चो के पास नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1979 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।

3 मैं तथा मेरी पत्नी/मेरे पति एवं अव्यस्क बच्चो द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती है।

4 आवंटन पत्र में सूचित जमा धनराशि एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी जमा धनराशि की रसीदो में किसी भी प्रकार के अन्तर होने पर / मिथ्या पाये जाने पर परिषद को सूचित धनराशि जमा करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

5 मा0 न्यायालय के आदेशो से भूमि प्रतिकर में वृद्धि अथवा अन्य किसी कारणो से उक्त सूचित मूल्य में परिवर्तन होता है तो परिषद द्वारा मांगी गयी धनराशि को जमा करने हेतु मैं बाध्य हूंगा/हूँगी। चाहे वह धनराशि रजिस्ट्री के बाद मांग की जायें।

6 मेरी समस्त स्त्रोतो से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष .... की वार्षिक आय, जिसमें मेरी/मेरे पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अवयस्क बच्चो सम्मिलित है कुल रू0– .... से अधिक नहीं थी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मैं (नाम) .... घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेदन 1 से 6 तक वर्णित तथ्य मेरे / मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है अन्यथा सूचना पाये जाने पर परिषद द्वारा की गयी समस्त वैधानिक कार्यवाही प्रार्थी को मान्य होगी।

स्थान: .... दिनांक : .... शपथकर्ता के हस्ताक्षर

राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने वाले फोटोग्राफ का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि मैं (नाम) .... पुत्र /पत्नी / पुत्री श्री .... निवासी .... को भली भाँति जानता हूँ। इनके हस्ताक्षर एवं फोटो मेरे द्वारा प्रमाणित किये जाते है।

आवंटित सम्पत्ति संख्या– ....

नमूना हस्ताक्षर:–

(1)

(2)

(3)

फोटो

(नोट:–फोटो, हस्ताक्षर व पता प्रमाणित कर्ता राजपत्रित अधिकारी का नाम / सुपात्रा / सील होना आवश्यक है।)